भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4716

दिनांक 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

माल और सेवा निर्यात

4716 श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इस वित्त वर्ष में भारत के माल और सेवा निर्यात के 750 बिलियन डॉलर को पार कर जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन के साथ व्यापार घाटा साल–दर–साल बढ़ता जा रहा है और यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार आयात को नियंत्रित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रही है; और

(ड.) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): समग्र (व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं) का निर्यात वर्ष 2021–22 (अप्रैल–फरवरी) में 605.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढकर वर्ष 2022–23 (अप्रैल–फरवरी) में 702.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 16.18 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। विकास की इसी गति को मानते हुए, वर्ष 2022–23 के लिए भारत के समग्र निर्यात के 750 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार करने की आशा है।

(ग): चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे में 2017–18 से 2020–21 तक प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर रूप से कमी आई है। इसमें 2020–21 की तुलना में 2021–22 में वृद्धि हुई है।

(घ) और (ड.): सरकार ने गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात को कम करने हेतु निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए हैंः

1. निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने, सर्वश्रेष्ठ अवसंरचना का निर्माण करने, और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवीनता का एक हब बनाने के लिए ''मेक इन इंडिया'' को 25 सितम्बर, 2014 को लॉन्च किया गया था। यह प्रथम 'वोकल फॉर लोकल' पहलों मे से एक थी जिसने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को दुनिया के सामने उजागर किया।

2. ''मेक इन इंडिया'' ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और अब ''मेक इन इंडिया 2.0'' के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं का समन्वय करता है, जबकि वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्र योजनाओं के समन्वय का कार्य देख रहा है।

3. विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, व्यापार करने में सुगमता में सुधार के लिए कार्रवाई, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी लाने हेतु उपाय, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) जैसे कुछ नाम शामिल हैं।

4. केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय से निवेशों में तेजी लाने और भारत में निवेश योग्य परियोजनाओं का दायरा बढ़ाने और परिणामस्वरुप घरेलू निवेश और एफडीआई अंतर्वाह को बढ़ाने के लिए 29 मंत्रालयों/विभागों में परियोजना विकास प्रकोष्ठ (पीडीसी) स्थापित किए गए हैं।

5. भारत के 'आत्मनिर्भर' बनने के विज़न को ध्यान में रखते हुए, 14 प्रमुख क्षेत्रों [1.97 लाख करोड़ रुपये के (26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) प्रोत्साहन परिव्यय के साथ] के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमें भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए कार्यान्वित की जा रही हैं। ये प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं: (i) मोबाइल विनिर्माण और विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटक, (ii) क्रिटिकल की स्टार्टिंग मैटेरियल्स/ड्रग इंटरमीडियरीज एंड एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (iii) चिकित्सा उपकरणों का विनिर्माण, (iv) ऑटोमोबाइल्स और ऑटो कंपोनेंट्स, (v) फॉर्मास्युटिकल्स ड्रग्स, (vi) विशेष इस्पात (vii) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पाद (viii) इलेक्ट्रॉनिक/प्रौद्योगिकी उत्पाद, (ix) व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी), (x) खाद्य उत्पाद, (xi) वस्त्र उत्पादः एमएमएफ सेगमेन्ट और तकनीकी वस्त्र, (xii) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉडयूल, (xiii) उन्नत केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी, और (xiv) ड्रोन और ड्रोन संघटक।

6. भारत में निवेश करने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को सहायता और सुविधा प्रदान करने के लिए सचिवों का एक अधिकार प्राप्त समूह (ईजीओएस) बनाया गया है।

****